न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई

(पीठासीन अधिकारी– नीरज कुमार मीना, आर.ए.एस)

वाद संख्या – 137 / 2015
किस्म मुकदमा– दावा
तारीख निर्णय – 08.01.2019

1. भूरीसिंह पुत्र बोदनसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर (गादौली) तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.

– प्रार्थीयागण

बनाम

1. रेलूमल पुत्र गन्नूमल जाति सिंधी निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. सामलदास पुत्र पवनदास जाति सिंधी निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. चुन्नूमल पुत्र गुनामल जाति सिंधी निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. नानिकमल पुत्र श्री सीरूमल जाति सिंधी निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. कीमती बाई बेवा सीरूमल जाति सिंधी निवासी पहरसर तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

– अप्रार्थीगण

उपस्थितः– 1. श्री फूलसिंह एडवोकेट

सत्यमेव जयते

निर्णय दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर. टी. ए.

Web Copy - Not Official

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण में ऐसा कोई सख्स नहीं है जो वाद के लिये अयोग्य है। सभी पक्षकारान वाद पत्र लडने के योग्य हैं। आराजी हाल बन्दोबस्ती हाल आराजी खसरा नम्बरान् 454 रकवा 0.03 हैक्टेयर व 623 रकवा 0.67 हैक्टेयर किता 2 कुल रकवा 0.70 हैक्टेयर जो कि संवत् 2028 के साबिक खसरा नम्बर 493 रकवा 2 बीघा 13 बिस्वा से निर्मित किये गये हैं जिसका संवत् 2010 का साबिक खसरा नं 429 रकवा 4 बीघा 3 बिस्वा था इस संबंध में नकल जमाबंदी हाल व नकल जमाबंदी साबिक तथा मिलान क्षेत्रफल पेश है। उक्त आराजी वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई में स्थित है। उपरोक्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 429 के पृथक रूप से 1 बीघा 10 बिस्वा की प्रतिवादिनी संख्या 05 कीमती बाई व 10 बिस्वा के चन्दूमल व 1 बीघा 10 बिस्वा के प्रतिवादी संख्या 02 व

सामलदास तथा 10 बिस्वा नानकमल पट्टेदार दर्ज थे तथा उक्त समस्त आराजी परे प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जाकाश्त थाव रिकार्ड में संवत् 2014 से ही भूप्रबंध विभाग संवत् 2028 तक लगातार शिकमी दर्ज रहा है जिसने वादी को उक्त आराजी खसरा नं. 429 रकवा 4 बीघा 3 बिस्वा का रजिस्टर्ड वयनामा कीमत 2000 रू. में प्रतिवादी सं. 1 से दिनांक 13/07/1970 को खरीद कर लिया है तथा उक्त वयनामा खरीद से ही वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी वर्णित से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है और ना ही वे काफी अर्सा दराज से ग्राम पहरसर में ही रहते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 के नाम को चले आ रहे गैर खातेदारी के इन्द्राजात बेबुनियाद व दिखावटी है जिनका कोई कानूनी महत्व नहीं रहा है। लिहाजा वादी के हक में उक्त आराजी बाबत् कब्जे काश्त की डिक्री पारित करते हुए नियमानुसार कस्टोडियन भूमि की राशि जमा कराई जाकर खातेदारी के इन्द्राजात वादी के हक में किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे तथा प्रतिवादीगण के हक में हो रहे गलत गैर खातेदारी इन्द्राजात काबिल कलमजन के हैं। वादी शिकमी कृषक का क्रेता है तथा राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप 10 पुनर्वास/विभाग/क्रमांक प–0–1(15) राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दि. 11/02/2012 के अनुसार निष्क्रांत आवंटन नियम 1963 के नियम 5 (ए) में विभागीय अधिसूचना दिनांक 01.12.2011 (परिशिष्ट सी) द्वारा संशोधन का नियमन शुल्क 1000/– रूप्या एवं 500 रूप्या प्रति बीघा का प्रावधान दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त राशि जमा करवाकर प्रार्थी द्वारा आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। भूमि कस्टोडियन भूमि का केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के कानूनों का निरसन हो चुका है केवल राज. मु. राज. अधिनियम निष्क्रांत भूमि के स्थाई आवंटन नियम 1963 ही प्रभाव में है इसलिए उक्त अधिनियम के तहत जारी किये गये परिपत्र ही स्थानीय कृषकों के हक में खातेदारी अधिकार दिलाने के लिये प्रभावी होंगे अन्य कोई नहीं।

उक्त आराजी पर वादी अर्सा दराज व बक्त वयनाम से ही काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है व एडवर्स पजेशन प्राप्त हो चुका है लेकिन प्रतिवादी संख्या 6 के कर्मचारी हल्का पटवारी ने उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी दिनांक 04.09.2015 को ही है। अगर वह उक्त धमकी में कामयाब हो गया तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद न हो सकेगी।। वादी वजह वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबंद करा पाने का अधिकारी है। विनाय मुखासमत यौम देने धमकी दिनांक 04.09.2015 से पैदा होकर वादी को यह वाद पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। उक्त मुकदमा प्रतिवादी संख्या 06 के खिलाफ भी है जिसे धारा 80 जा. दी. का नोटिस दिया जाना जरूरी है लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने से उसको दो माह का समय लगेगा तथा वादी की बेदखली सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र 80 (2) जा. दी. का प्रार्थना पत्र पृथक से अदालत से मंजूरी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादित आराजी व पक्षकारान मुकदम अदालत श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित होने व निवास करने से अदालत श्रीमान् को वाद पत्र श्रवण का अधिकार हासिल है। आराजी वर्णित मद संख्या 2 वाद पत्र वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई परवादी को जरिये खरीद वयनामा दिनांक 13.07.1990 एडवर्स पजेशन होने के कारण कब्जे की डिक्री पारित करते हुए नियमानुसार कस्टोडियन की भूमि की राशि जमा कराते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात को कमलजन किया जावे।

Web Copy - Not Official

दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन एव जरिये रजिस्टर्ड एडी़ से तलव किये गये। परन्तु प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 5 उक्त न्यक्ति के नाम ग्राम पहरसर मे ना होने के कारण तामील नही हो सकी तथा प्रतिवादी स. 6 की भी पुनः तामील जरिये अखबार साया दैनिक नवज्योति से कराई गई। उसके बाबजूद भी प्रतिवादीगण न्यायालय उपस्थित नही हुऐ। इनके खिलाफ एक तरफ कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वादी द्वारा आपने वाद पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सवत हाल 2067–70 वाके ग्राम पहरसर , नकल मिलान क्षेत्रफल सवत 2060 , नकल भू. प्रबधक सवत 2028, नकल जमाबन्दी सवत (खेवट खतौनी) 2024, नकल जमाबन्दी सवत 2024 वाके ग्राम पहरसर, नकल खसरा गिरदावरी सवत 2024 वाके पहरसर , नकल बयनामा फोटो प्रति दिनाक 13.07.70, नकल मिलान क्षैत्रफल सवत 2028 पेश किये गये। एव मौखिक बयान के रूप मे भूरीसिह पुत्र बोदन जाति जाट निवासी हसनपुर के पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस एक तरफ सुनी गई। बहस दौरान कहा कि उक्त विवादित आरजी ख0न0 454 रकवा 0.03 हैक्ट. व 623 रकवा 0.67 हैक्ट. किता 2 कुल रकवा 0. 70 हैक्ट. जोकि सवत 2028 के साबिक ख.न. 493 रकवा 2 बीघा 13 बिस्वा से बने है। जिसका सवत 2010 का साबिक ख.न. 429 रकवा 4 बीघा 3 विस्वा था। इस सबध मे नकल जमाबेन्दी हाल व साबिक मिलान क्षैत्रफल पेश किया है। उक्त आराजी पहरसर स्थित है। साबिक ख.न. 429 के पृथक रूप से 1 बीघा 10 विस्वा की प्रतिवादिनी स. 5 की मतीबई 10 विस्वा के चन्दूमल व 1 बीघा 10 विस्वा के प्रतिवादी स. 2 व सामलदास तथा 10 विस्वा ननकमल पटअेदार दर्ज थे। उक्त अराजी समस्त आराजी परे प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जाकाश्त था व रिकार्ड में संवत् 2014 से ही भूप्रबंध विभाग संवत् 2028 तक लगातार शिकमी दर्ज रहा है जिसने वादी को उक्त आराजी खसरा नं. 429 रकवा 4 बीघा 3 बिस्वा का रजिस्टर्ड वयनामा कीमत 2000 रू. में प्रतिवादी सं. 1 से दिनांक 13/07/1970 को खरीद कर लिया है तथा उक्त वयनामा खरीद से ही वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी वर्णित से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है और ना ही वे काफी अर्सा दर्राज से ग्राम पहरसर में ही रहते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 के नाम को चले आ रहे गैर खातेदारी के इन्द्राजात बेबुनियाद व दिखावटी है जिनका कोई कानूनी महत्व नहीं रहा है। लिहाजा वादी के हक में उक्त आराजी बाबत् कब्जे काश्त की डिक्री पारित करते हुए नियमानुसार कस्टोडियन भूमि की राशि जमा कराई जाकर खातेदारी के इन्द्राजात वादी के हक में किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे तथा प्रतिवादीगण के हक में हो रहे गलत गैर खातेदारी इन्द्राजात काबिल कलमजन के हैं। वादी शिकमी कृषक का क्रेता है तथा राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप 10 पुनर्वास/विभाग/क्रमांक प–0–1(15) राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दि. 11/02/2012 के अनुसार निष्क्रांत आवंटन नियम 1963 के नियम 5 (ए) में विभागीय अधिसूचना दिनांक 01.12.2011 (परिशिष्ट सी) द्वारा संशोधन का नियमन शुल्क 1000/– रूप्या एवं 500 रूप्या प्रति बीघा का प्रावधान दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त राशि जमा करवाकर प्रार्थी द्वारा आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। भूमि कस्टोडियन भूमि का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के कानूनों का निरसन हो चुका है केवल राज. मु. राज. अधिनियम निष्क्रांत भूमि के स्थाई आवंटन नियम 1963 ही प्रभाव में है इसलिए उक्त अधिनियम के तहत जारी किये गये परिपत्र ही स्थानीय कृषकों के हक में खातेदारी अधिकार दिलाने के लिये प्रभावी होंगे अन्य कोई नहीं। आराजी पर वादी अर्सा दराज व वक्त वयनाम से ही काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है व एडवर्स पजेशन प्राप्त हो चुका है आराजी वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई परवादी को जरिये खरीद वयनामा दिनांक 13.07.1990 एडवर्स पजेशन होने के कारण कब्जे की डिक्री पारित करते हुए नियमानुसार कस्टोडियन की भूमि की राशि जमा कराते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात को कमलजन किया जावे। कानूनी नजीर आरआरडी 1990 पेज 35 का हवाला देते हुये कहा कि प्रकरण करतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में {Allotment – Original alloti of the land did not deposit completeamount of demand- Allotment 1960-Oridinal allotees and thereafter transferees are in continuous possession of the land – held it would be proper to permit petitioner (transferees) to continue to remain in possession of the land provide they make payment of balance amount together with interest- After depositing of the amount the land be mutated in the name of transferees} उक्त प्रकरण के अनुसार वादी राशि भी जमा कराने को तैयार है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किये गये। अतः दावा वादी मुताबिक वयनामा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त आराजी के साबिक ख.न. 429 के पृथक रूप से 1 बीघा 10 विस्वा की प्रतिवादिनी स. 5 कीमतीबाई 10 विस्वा के चन्दूमल व 1 बीघा 10 बिस्वा के प्रतिवादी स. 2 व सामलदास तथा 10 विस्वा नानकमल पट्टेदार दर्ज थे। समस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जाकाश्त था। रिकार्ड में संवत् 2014 से ही भूप्रबंध विभाग संवत् 2028 तक लगातार शिकमी दर्ज रहा है जिसने वादी को आराजी खसरा नं. 429 रकवा 4 बीघा 3 बिस्वा का रजिस्टर्ड वयनामा कीमत 2000 रू. में प्रतिवादी सं. 1 से दिनांक 13/07/1970 को खरीद कर लिया है तथा उक्त वयनामा खरीद से ही वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। वक्त बयनामा प्रतिवादी शिकमी दर्ज थे। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 के साबिक ख.न. 493 रकवा 2 बीघा 13 विस्वा से निर्मित किये गये है। जिसका संवत 2010 का साबिक ख. न. 429 रकवा 4 बीघा 3 विस्वा था। जो हाल ख.न. 454 व 623 पर सामलदास पुत्र पवनदास चनूमल पुत्र गुनामल नानिकमल पुत्र सीरूमल मु. कीरतबाई वेवा सीरूमल कौम सिन्धी सा.देह गैर खातेदार दर्ज है। मुताबिक रिकार्ड विवादित आराजी कस्टोडियन होना साबित है। प्रति वादी रेलूमल पुत्र गन्नूमल जाति सिंन्धी निवासी पहरसर ने रजि0बयमाना दिनांक13.07.1970 को वादी भूरीसिंह पुत्र बोदनसिंह जाति जाट निवासी हसनपुर(गादौली) के पक्ष में कराया है। तभी से उस पर काबिज है।अतः वादी का कब्जा काश्त साबित होता है।वादी द्वारा अपना कब्जा काश्त 35 वर्ष पुराना साबित कर दिया है जो मौखिक बयानो से भी साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर प्रकरण में हाजा पर बखूबी चस्पा होती है। तथा राज्य सरकार के परिपत्र 30.03. 2012 के मुताबिक विवादित आराजी पर वादी का हक साबित है।

Web Copy - Not Official

अतः दावा वादी इस कदर डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा न. 454 रकवा 0.03 व 623 रकवा 0.67 है. किता 2 कुल रकवा 0.70 है. वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई पर वादीगण को राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप 10 पुनर्वास विभाग के परिपत्र प 1(15)राज–पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 30.03.12 के अनुसरण में नियमानुसार बिन्दु सं. 03 व 05 के अनुसार राशि राजकोष में जमा होने पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज कुमार मीना)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official